पंचदश

बिहार विधान-सभा

षष्ठम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 17 श्रावण, 1934 (श०) / 08 अगस्त, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—05

(1) ग्रामीण विकास विभाग	..	..	03
(2) ग्रामीण कार्य विभाग	..	..	01
(3) जल संसाधन विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	05

उच्चस्तीय जाँच कराना

'क'–3. श्री मंजीत कुमार सिंह––दैनिक समाचार–पत्र दिनांक 1 जुलाई, 2012 में प्रकाशित "16 (सोलह) हजार महिलाएँ के निकाल दिये गये गर्भाशय" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के आयु वाले सोलह हजार से ऊपर महिलाओं के गर्भाशय वर्ष 2010 से जून, 2012 तक ग्यारह जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि हड़पने के लिए निकाल दिये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार से सूचीबद्ध 829 निजी अस्पताल, गरीब परिवारों की बीमा करने एवं उन्हें स्मार्ट कार्ड देने के लिए चार–पाँच कम्पनियों से समझौता किया है जिसके एवज में राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्रीमियम प्राप्त होता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बीमा कम्पनियां राज्य के अस्पताल के डाक्टर तथा सूचीबद्ध निजी अस्पताल के मेल–जोल से ग्यारह जिलों में सौ करोड़ से ऊपर की राशि का बारा–न्यारा कर मासूम महिलाओं को संतान उत्पत्ति से बंचित कर दिया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्यारह जिलों में हुई अमानवीय घटनाओं तथा राशि की बंदरबांट की उच्चस्तरीय जाँच कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

8. श्री अवनीश कुमार सिंह––क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत् 2005–06 में स्वीकृत 249 योजनाओं के विरुद्ध अभीतक 134 योजनाएँ, 2006–07 में स्वीकृत 921 के विरुद्ध 90 योजनाएँ, 2007–08 में स्वीकृत 1031 के विरुद्ध 181 योजनाएँ, 2008–09 में स्वीकृत 6682 के विरुद्ध 59 योजनाएँ, 2009–10 में स्वीकृत 872 के विरुद्ध शून्य योजनाएँ, 2010–11 में स्वीकृत 252 के विरुद्ध शून्य योजनाएँ, 2011–12 में 2158 के विरुद्ध शून्य योजनाएँ पूरी की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त योजनाओं को पूरा कराने तथा शिथिलता बरतनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि खर्च नहीं करने का औचित्य

9. डॉ० अच्युतानन्द––क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 3166.99 करोड़ की राशि आवंटित की गयी थी और इसमें 130073 करोड़ की राशि रिलीज किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त अवधि में मात्र 645.25 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने के कारण राज्य सरकार को शेष राशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशि उपलब्ध रहने के बावजूद खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

नोट– 'क'– दिनांक 03 अगस्त, 2012 को सदन द्वारा स्वास्थ्य विभाग से श्रम संसाधन विभाग में स्थानान्तरित ।

पदाधिकारी का पदस्थापन

10. श्री अख्तरूल ईमान---क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन द्वारा इंदिरा आवास आवंटन में वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 816, दिनांक 18 जून, 2012 के द्वारा प्रपत्र "क" गठित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्पष्टीकरण सहित अपना मंतव्य भी ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी उक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी अब भी प्रखण्ड कोचाधामन में पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन को अन्यत्र पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मामलों का निष्पादन

11. श्री अजीत कुमार---क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के पूर्वी एवं पश्चिमी अनुमण्डल में ए०पी०एल० एवं बी०पी०एल० में सुधार करने हेतु वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 04,24,000 आपत्ति एवं दावा का प्रपत्र जमा हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चार लाख चौबीस हजार आवेदन में से केवल पैंतीस हजार अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आवेदन का निष्पादन हुआ है, शेष आवेदन आज भी अनुमण्डल मुख्यालय में सड़ रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार प्रति वर्ष 1 मई से 15 मई तक आपत्ति एवं दावा पेश करने का तथा उक्त मामले का निष्पादन दो माह के अंदर होना था, जो नहीं हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लंबित मामलों का निष्पादन कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा ।

पटना :
दिनांक 8 अगस्त, 2012 (ई०) ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 105– डी०टी०पी०– 450